तारीख हुक्म	**न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर(अजमेर)** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नौशाद अली **बनाम** अशोक कुमार प्रकरण संख्या 265/2019	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
15.01.2026	अधिवक्ता परिवादी उपस्थित। अभियुक्त अशोक कुमार अनुपस्थित, जिसकी ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 45 व 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पेश किया, जिसकी नकल अधिवक्ता परिवादी को दिलाई गई, जिन्होंने जवाब पेश करना नहीं चाहा, जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि प्रकरण में परिवादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जो चैक में कूटरचना करके उक्त चैक में राशि व दिनांक स्वयं द्वारा भरकर परिवाद पेश किया है, उक्त चैक आरोपी के द्वारा नहीं भरा गया है, अपितु परिवादी ने अभियुक्त से रूपये हड़पने की नियत से उक्त चैक में कूटरचना करके उक्त चैक स्वयं द्वारा भरकर चैक का दुरूपयोग कर पेश किया गया है। उक्त चैक पर हस्ताक्षर के अलावा सम्पूर्ण लिखावट अभियुक्त की नहीं है। अभियुक्त उक्त चैक पर हस्ताक्षर के अलावा सम्पूर्ण लिखावट का स्पष्ट रूप से खण्डन करता है व उक्त चैक में की गई लिखावट को अस्वीकार करता है। परिवादी द्वारा दस्तावेज की लेखनी को अभियुक्त की लेखनी बताई जा रही है इस प्रकार मात्र कथनों से उक्त तथ्य निर्धारित नहीं हो सकते हैं, इसलिए विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व न्यायहित में चैक को विशेषज्ञ के पास भेजा जाकर रिपोर्ट प्राप्त किया जाना अतिआवश्यक है। प्रकरण में विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त होने से संपूर्ण स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जायेगी, जिससे न्याय निर्णयन में भी सुविधा होगी। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन करते हुए उक्त चैक पर हस्ताक्षर के अलावा लेखनी के संबंध में जांच हेतु विशेषज्ञ के पास भेजने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की। दूसरी ओर अधिवक्ता परिवादी ने उपरोक्त तर्कों से असहमत होते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में चैक अनादरण Exceeds arrangment के आधार पर हुआ है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में अनावश्यक विलंब कारित करने के उद्देश्य से लाया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षों के तर्कों वितर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अशोक कुमार के विरुद्ध दिनांक 17.10.2019 को चैक संख्या 510456 राशि 1,75,000/- रुपये के अनादरित होने के कारण एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया था एवं प्रकरण में अभियुक्त की प्रथम उपस्थिति दिनांक 01.10.2022 को दर्ज की गई। पेशी दिनांक 01.03.2025 को परिवादी ने अपनी साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया। इस प्रकार, प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य परिवादी स्तर पर लम्बित है। हस्तगत प्रार्थना-पत्र के माध्यम से परिवादी विवादित चैक में हस्ताक्षर के अलावा लिखावट को परिवादी द्वारा भरा हुआ ज़ाहिर करते हुए	

उसकी विशेषज्ञ से जांच करवाना चाहता है। हस्तगत प्रकरण में विवादित चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर बाबत् कोई विवाद नहीं है, न ही इस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अभियुक्त ने विवादित चैक पर अपने हस्ताक्षर को अस्वीकार किया है। अभियुक्त का मात्र यह तर्क है कि विवादित चैक में हस्ताक्षर के अलावा सम्पूर्ण लिखावट परिवादी द्वारा भरे गए हैं, इस संबंध में, न्यायालय के विनम्र अभिमत में यह आवश्यक नहीं कि बॉडी ऑफ चैक, चैक पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा ही भरी जावें। चैक की इबारत किसी भी व्यक्ति के द्वारा भरी जा सकती है। इसके अतिरिक्त धारा 20 परक्राम्य लिखत अधिनियम चैक धारक को विवक्षित रूप से अधिकार देता है कि वह खाली दिये हुए चैक को पूरा भर ले। अतः यदि विवादित चैक परिवादी स्वयं द्वारा भरा गया हो तो भी तो चैक देते समय लेखीवाल का यह विवक्षित आशय होता है कि वह उसे पूरा भर ले। यदि चैक को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाता है एवं अभियुक्त के केवल हस्ताक्षर होते हैं तो भी ऐसी स्थिति में, चैक हस्ताक्षरकर्ता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं रहती। प्रकरण अभी साक्ष्य परिवादी स्तर पर है एवं अभियुक्त को परिवादी से प्रतिपरीक्षा करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। अतः वह चैक के संबंध में परिवादी से पूर्ण प्रतिपरीक्षा करने हेतु स्वतंत्र है। अतः इस स्तर पर हस्तगत प्रकरण में विवादित चैक को विशेषज्ञ जांच हेतु भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरूप, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 45 व 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी हेतु दिनांक ....को पेश हो।

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर